बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–मो०–96/14– 4525 /कृ0, पटना, दिनांक– 30-8–2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेश सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों से 3(तीन) लाख रूपये तक के फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 1(एक) प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कुल 500.00 लाख(पाँच करोड़) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों से 3(तीन) लाख रूपये तक के फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 1(एक) प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कुल 500.00 लाख(पाँच करोड़) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों से 3 लाख रूपये तक के फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है ताकि किसान उत्साहित होकर अधिक से अधिक संस्थागत ऋण प्राप्त कर अधिकाधिक फसलोत्पादन कर सकें।

3. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए किया जायेगा। यह योजना दिनांकः 01.04.2018 से प्रभावी होगी। अर्थात् दिनांकः 01.04.2018 के बाद वित्तीय वर्ष 2018–19 में वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों के द्वारा फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण ब्याज अनुदान की पात्रता रखेंगे। दिनांकः 01.04.2018 से पूर्व दिये गये फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर इस योजना के तहत ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं रखेंगे।

4. इस योजना के अधीन नाबार्ड द्वारा यथा परिभाषित सभी प्रकार के फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे। एग्रीकल्चर टर्म लोन एवं अन्य ऋण ब्याज अनुदान के लिए पात्रता नहीं रखेंगे।

5. इस योजना के अधीन सभी प्रकार के किसान चाहे उनकी भू–धारिता (लघु/सीमांत/अन्य) जो भी हो एवं वे किसी भी श्रेणी के हों समान रूप से आच्छादित होंगे। सभी प्रकार की फसलें भी समान रूप से आच्छादित होगी। इस योजना के अधीन सभी प्रकार के Share croppers, Oral leassee and JLG भी जिन्होंने फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण लिया है, इस ब्याज अनुदान की पात्रता रखेंगे।

6. मात्र व्यक्तिगत किसान हीं इस योजना में आच्छादित होंगे। कम्पनी एवं पार्टनरशिप पर प्राप्त ऋण इस योजना की पात्रता नहीं रखेंगे।

7. यह ब्याज अनुदान भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज अनुदान के अतिरिक्त होगा।

8. 3(तीन) लाख रूपये तक के फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। 3 लाख रूपये से अधिक फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ 3 लाख रूपये तक ही सीमित होगा।

9. योजना का लाभ उन्हीं ऋणी किसानों तक सीमित होगा जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे। अगर किसान निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करते हैं एवं डिफॉल्टर हो जाते हैं तो उन्हें संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति की तिथि से सामान्य दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, तो भुगतान करना होगा और यह माना जायेगा कि वे इस योजना की पात्रता नहीं रखते हैं।

10. फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को दिये गये ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्त्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

11. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य एजेंसी होगी। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/, सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रशासित ब्याज अनुदान के लिए राज्य एजेंसी की भूमिका का निर्वाह करेगी। नाबार्ड द्वारा कुछेक शर्त्तों पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सहमति दी गयी है।

12. नाबार्ड द्वारा संसूचित शर्त्तों को स्वीकार करते हुए इस संस्थान को राज्य एजेंसी का दायित्व दिया गया है। नाबार्ड से प्राप्त सहमति संबंधित पत्र अनुसूची – 1 के रूप में संलग्न है।

13. नाबार्ड के द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अनुसार एक मुश्त अग्रिम राशि राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। नाबार्ड संबंधित बैंकों को ब्याज अनुदान भुगतान के लिए जिम्मेवार होगी। नाबार्ड द्वारा बैंकों को ब्याज अनुदान भुगतान के लिए एक प्रक्रिया विहित की जायेगी जिसका अनुपालन संबंधित बैंकों के द्वारा किया जाएगा।

14. योजना कार्यान्वयन की पद्धति के अनुसार 31 मार्च 2019 के बाद कुल वास्तविक राशि की गणना संभावित हो सकती है, क्योंकि रब्बी मौसम में लिये गये ऋण की अदायगी का समय मार्च तक होगा। ऐसी स्थिति में जो राशि वास्तविक रूप से बैंकों के द्वारा दावा किया जायेगा उसमें से नाबार्ड को दिये गये अग्रिम की राशि को घटाकर शेष राशि वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध प्राप्त कर नाबार्ड को विमुक्त किया जा सकेगा। विहित प्रपत्र में दाखिल किये गये बैंक के दावों का निबटारा नाबार्ड द्वारा किया जायेगा। दिनांक 31.10.2020 के बाद किये गये दावे की गणना/निबटारा नहीं किया जा सकेगा।

15. योजना के अनुश्रवण के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृशि की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति में प्रधान सचिव, वित्त/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, सहकारिता/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सदस्य होंगे। यह समिति प्रत्येक तीन माह पर बैठक करेगी। समिति योजना कार्यान्वयन में यथा आवश्यक निर्णय के लिए प्राधिकृत होगी।

16. स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नाबार्ड को उपलब्ध करायी जाएगी।

17. प्रशासी विभाग द्वारा कार्यान्वयन की दृष्टि से यथाआवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

18. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू० में)	स्वीकृत राशि (लाख रू० में)
मुख्य शीर्ष 2435–अन्य कृषि कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य–लघु शीर्ष–101–किसानों के लिए ऋण राहत योजना–उप शीर्ष–0101–कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान, मांग संख्या–01, विपत्र कोड 01-2435601010101, विषय शीर्ष– 0101.33.01 सब्सिडी	415.00	415.00
मुख्य शीर्ष 2435–अन्य कृषि कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष– 0101–कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान, मांग संख्या–01, विपत्र कोड 01-2435607890101, विषय शीर्ष– 0101.33.01 सब्सिडी	80.00	80.00
मुख्य शीर्ष 2435–अन्य कृषि कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य–लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उप–योजना–उप शीर्ष– 0101–कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान, मांग संख्या–01, विपत्र कोड 01-2435607960101, विषय शीर्ष– 0101.33.01 सब्सिडी	5.00	5.00
कुल	500.00	500.00

19. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3758/वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मो०–96/14 के पृ0सं0– 107/टि० पर दिनांक– 20.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.8.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–मो०–96/14 4525 /कृ0, पटना, दिनांक 30-8-2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–मो०–96/14 4525 /कृ0, पटना, दिनांक 30-8-2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–मो०–96/14 4525 /कृ0, पटना, दिनांक 30-8-2018

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–मो०–96/14 4525 /कृ0, पटना, दिनांक 30-8-2018

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।